रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1977] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936
No. 1977] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

का.आ. 2506(अ).——यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 994(अ), तारीख 04.05.2011 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के 0.000 कि.मी. से 452.800. कि.मी. (सोलापुर–येडिशी–औरंगाबाद–धूले सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में, डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण IV के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के 0.000 कि.मी. से 100.000 कि.मी. (डिजाइन लम्बाई 98.717 कि.मी.) तक सोलापुर–येडिशी सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का चार लेन में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु 16.12.2013 को प्रस्तुत की गई बोलियों हेतु मैसर्स सोलापुर येडिशी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आइआरबी काम्प्लेक्स, चांदीवली गांव, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई–400072 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 03.03.2014 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो बोली की नियत तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों सहित पठनीय है, के नियम 3, के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 93.150 कि.मी. के लिए चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और 5.567 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से पूर्णतः प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, जैसी भी स्थिति हो अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त नियमों तथा पूर्वोक्त करार के प्रावधानों के अनुसार, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
19.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 19.450 कि.मी.) (उस्मानाबाद जिले में तामलवाड़ि गांव के पास)	45.563 (तुल्जापुर बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
77.650 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 78.390 कि.मी.) (उस्मानाबाद जिले में येडिशी गांव के पास)	47.587 (येडिशी बाइपास की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु उपर्युक्त सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपासों के नाम	बाइपासों की लम्बाई (कि.मी में.) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
19.360 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 19.450 कि.मी.) (उस्मानाबाद जिले में तामलवाड़ि गांव के पास)	रा रा–211 के तुल्जापुर बाइपास 39.430 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 39.620 कि.मी.) से शुरू करके 42.867 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 44.000 कि.मी.) पर मिलते हुए	3.437	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

77.650 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 78.390 कि.मी.) (उस्मानाबाद जिले में येडिशी गांव के पास)	रा रा—211 के येडिशी बाइपास 79.770 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 80.500 कि.मी.) से शुरू करके 81.900 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 82.800 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.130	उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014—15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रुपए (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन का चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए वाहन को प्रवेश करवाने के लिए उस श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क टोल संग्रहण एजेन्सी को अदा करने का उत्तरदायी होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का तब तक उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी जब तक के ऐसे यांत्रक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना द्वारा राजमार्ग परियोजना की लम्बाई के पूरे कर लिए खण्डों के आधार पर की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गए संषोधन की तारीख से 6 (छह) के अन्दर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/760/सीओ/13—14/जीसी/सोलापुर—येडिशी सेक्शन—बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2014

S.O. 2506 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 994(E), dated 04.05.2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 452.800 (Solapur – Yedeshi-Aurangabad-Dhule Section) of National Highway No. 211 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 03.03.2014 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Solapur Yedeshi Tollway Private Limited having its registered office at IRB Complex, Chandivli Farm, Chandivli Village, Andheri(East), Mumbai--400072 (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 16.12.2013 for the development of Solapur – Yedeshi Section from km 0.000 to km 100.000 (design length 98.717 km) on National Highway No. 211 (hereinafter referred to as the "said section") to four laning and operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with its amendment till bid due date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length 93.150 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 5.567 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the aforesaid agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
km 19.360 (design chainage) (existing chainage km 19.450) (near Tamalwadi village in Osmanabad district)	45.563 (excluding length of Tuljapur Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 77.650 (design chainage) (existing chainage km 78.390) (near Yedeshi village in Osmanabad district)	47.587 (excluding length of Yedeshi Bypass)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Names of Bypass with Chainage	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
km 19.360 (design chainage) (existing chainage km 19.450) (near Tamalwadi village in Osmanabad district)	Tuljapur Bypass taking off at km. 39.430 (design chainage) (existing chainage km 39.620) and joining at km. 42.867 (design chainage) (existing chainage km 44.000) of NH-211	3.437	150% of base rates mentioned in Table-1 above
km 77.650 (design chainage) (existing chainage km 78.390) (near Yedeshi village in Osmanabad district)	Yedeshi Bypass taking off at km. 79.770 (design chainage) (existing chainage km 80.500) and joining at km. 81.900 (design chainage) (existing chainage km 82.800) of NH-211	2.130	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/760/CO/13-14/GC/Solapur- Yedeshi Section – BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.